

श्री 3 (1) न्याय परि-1/21 माता  
 हुक्म या कार्यवाही मय लघु इरताक्षर जज  
 22/06/2024 15/11/2023 24-7-23

24-7-23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान पक्षकारान प्रक्रिया में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

24-7-23

24-7-23

*(Signature)*

24-7-23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान पक्षकारान प्रक्रिया में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

*(Signature)*

7-11-23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान पक्षकारान प्रक्रिया में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

*(Signature)*

19.06.2024

दिनांक 06.03.2024 को इकजाई होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



*(Signature)*  
 ( अनिल कुमार )  
 उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर  
 (नीमकाथाना)